इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2011—वैशाख 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 2602-164-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०११

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २३ अप्रेल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २६ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ में, खण्ड (ख) में, मद (एक), (दो) तथा (तीन) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(एक)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये तक हो.	न्यूनतम दो सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए अनादृत चैक की रकम का पांच प्रतिशत.
(दो)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख तक हो.	न्यूनतम पांच हजार रुपये और ऐसी रकम पर जो एक लाख रुपये से अधिक हो, चार प्रतिशत.
(तीन)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम पांच लाख रुपये से अधिक हो.	न्यूनतम इक्कीस हजार रुपये और ऐसी रकम पर, जो पांच लाख रुपये से अधिक हो, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए तीन प्रतिशत.".

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2011

क्र. 2603-164-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.13 OF 2011.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th April,2011.]

An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendemnt of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendement of Schedule II.

3. In the Schedule II to the principal Act, in article 1, in clause (b), for items (i), (ii) and (iii) and entries relating thereto, the following items and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

" (i) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is upto one lakh	Five percent of the amount of dishonoured cheque subject to the minimum of two hundred rupees.
(ii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than one lakh rupees but upto five lakh rupees.	Minimum five thousand rupees, plus four percent on the amount in excess of one lakh rupees.
(iii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than five lakh rupees.	Minimum twenty one thousand rupees, plus three percent on the amount in excess of five lakh rupees subject to maximum one lakh fifty thousand rupees.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.